



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 28.12.2025

थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा नकबजनी के अभियोगों से सम्बन्धित 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 15,000/- रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 लोहे का रॉड व 01 लोहे का चापड़ बरामद

थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत 1. मु0अ0सं0 718/25 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस 2. मु0अ0सं0 721/25 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त मो0 तौहीद पुत्र मो0 जावेद निवासी 18 नं0 गली जफीर पुलिया थाना करेली जनपद प्रयागराज को आज दिनांक-28.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर एसबीआई मोड से करीब 200 मीटर पर काजीपुर रोड थाना क्षेत्र नैनी से गिरफ्तार करते हुये अभियुक्त के कब्जे से 15,000/- रुपये नगद तथा घटना मे प्रयुक्त 01 लोहे का रॉड, व 01 लोहे का चापड़ बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटनाओं का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा दीपक सिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण सिंह निवासी शंकर नगर नियर सी0ओ0डी0 गेट थाना नैनी प्रयागराज की तहरीरी सूचना बाबत अज्ञात चोरों द्वारा प्रार्थी के घर में रखी वस्तुएं व आभूषण चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना नैनी पर दिनांक-26.12.2025 को

मु0अ0सं0 718/25 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वादी मुकदमा रवि प्रकाश पथिक पुत्र भोला नाथ पथिक पता MIG 156 ADA colony थाना नैनी प्रयागराज की तहरीरी सूचना बाबत अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर लॉकर में रखे सोने के गहने व कैश चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दिनांक-27.12.2025 को मु0अ0सं0 721/25 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कर संबंधित माल की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे जिसके क्रम में आज दिनांक-28.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्तों में प्रकाश में आया अभियुक्त मो0 तौहीद उपरोक्त को 15,000/- रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 लोहे का रॉड व 01 लोहे के चापड़ के साथ थाना क्षेत्र नैनी से गिरफ्तार किया गया। विवेचना से धारा 317(2)/317(4) बीएनएस एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त मो0 तौहीद उपरोक्त ने बताया कि मैं नशे का आदी हूं, अपना एवं अपने परिवार का खर्च चलाने के लिये चोरियां करता हूं। मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई चोरियां भी की है, और पूर्व में कई बार जेल भी जा चुका हूं। अपने क्षेत्र में लोग मुझे पहचानते हैं और पकड़े जाने का भी डर रहता है, इसलिये हम लोग नैनी में आकर चोरी करते हैं। मैं तथा मेरे दोस्त घूम-घूमकर बन्द पड़े मकानों में रैकी करके चोरी करते हैं तथा चोरी से मिले सामानों और आभूषणों को राह चलते राहगीरों को बेच देते हैं और बेचने पर मिले रुपयों को आपस में बांट लेते हैं। मेरे पास से जो रुपये मिले हैं उनमें से 5,000/- रुपये दिनांक-24.12.2025 की रात में सीओडी गेट के पास एक ताला बंद मकान में से अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी करने पर मिले सामानों और आभूषणों को बेचकर मिले रुपयों में से मेरे हिस्से में मिले रुपयों में खर्च के बाद बचे शेष रुपये थे तथा 10,000/- रुपये दिनांक-26.12.2025 की रात में एडीए कालोनी से एक मकान में, जिसमें ताला बंद था, से अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी करने पर मिले आभूषणों में से कुछ आभूषणों को बेचकर मिले रुपयों में से मेरे हिस्से के रुपये में

खर्च होने के बाद बचे शेष रुपये है। हम लोग सुनसान पड़े घरों की निगरानी करते हैं फिर हम चारों उन घरों का रात में इस लोहे की राड की मदद से ताला तोड़ अन्दर घुस कर एवं घरों में अलमारी के लाकर का ताला तोड़कर चोरी करते हैं। साहब इस लोहे के चापड़ को मैं अपने पास चोरी करते समय पकड़ें जाने पर लोगों को डराने के लिये रखता हूँ। दिनांक-24.12.2025 व 26.12.2025 की रात में भी हम लोग इसी तरह चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो० तौहीद पुत्र मो० जावेद निवासी 18 नं० गली जफ़ीर पुलिया थाना करेली जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त तौहीद उपरोक्त -

1. मु०अ०सं० 333/2019 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना करेली प्रयागराज।
2. मु०अ०सं० 508/2019 धारा 396/412 भादवि थाना करेली प्रयागराज।
3. मु०अ०सं० 548/2019 धारा 401/411/413/414 भादवि थाना करेली प्रयागराज।
4. मु०अ०सं० 549/2019 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना करेली प्रयागराज।
5. मु०अ०सं० 1016/2019 धारा 380/411/457 भादवि थाना धूमनगंज प्रयागराज।
6. मु०अ०सं० 112/2020 धारा 2,3(1) उ०प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि०, 1986 थाना करेली प्रयागराज।
7. मु०अ०सं० 812/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना धूमनगंज प्रयागराज।
8. मु०अ०सं० 718/25 धारा 305(a)/331(4)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना नैनी कमि० प्रयागराज।
9. मु०अ०सं० 721/25 धारा 305(a)/331(4)/317(2)/317(4) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नैनी कमि० प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

1. 5,000/- रुपये नगद (अभि० मो० तौहीद उपरोक्त के कब्जे से) मु०अ०सं० 718/25 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस से संबंधित ।
2. 10,000/- रुपये नगद (अभि० मो० तौहीद उपरोक्त के कब्जे से) मु०अ०सं० 721/25 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस से संबंधित ।
3. 01 लोहे का रॉड़ (अभि० मो० तौहीद उपरोक्त के कब्जे से) ।
4. 01 लोहे का चापड़ (अभि० मो० तौहीद उपरोक्त के कब्जे से) ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र०नि० बृजकिशोर गौतम, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ०नि० अमित कुमार, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. उ०नि० रामानन्द विश्वकर्मा, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. उ०नि० कुलदीप उपाध्याय, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. उ०नि० हर्ष कुमार, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज ।
6. का० सोनू कुमार, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज ।

थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना फाफामऊ पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 361/2025 धारा-191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/308(5)/117(2) भा०न्या०सं० से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्त 1.

मकबूल हुसैन उर्फ कुल्लन पुत्र वाजिद अली निवासी मलाक हरहर थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज 2. अर्श खान पुत्र मकबूल हुसैन निवासी मलाक हरहर थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक- 28.12.2025 को थाना फाफामऊ क्षेत्रान्तर्गत मलाक हरहर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ दिनांक-17.12.2025 को थाना फाफामऊ क्षेत्रान्तर्गत मलाका के पास वादी मुकदमा के साथ वाद-विवाद करते जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी डण्डों से मार-पीट की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फाफामऊ पर मु0अ0सं0-361/2025 उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मकबूल हुसैन उर्फ कुल्लन पुत्र वाजिद अली निवासी मलाक हरहर थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 58 वर्ष।
2. अर्श खान पुत्र मकबूल हुसैन निवासी मलाक हरहर थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 21 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-361/2025 धारा-191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/308(5)/117(2) भा0 न्या0सं0 थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।

अभियुक्त मकबूल हुसैन उर्फ कुल्लन का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-532/2021 धारा-120बी/363/366/376/419/420/467/468/471 भा0द0सं0 व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम व 16/17/5/6 पॉक्सो एक्ट थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0-897/2019 धारा-323/504/506 भा0द0सं0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

3. मु0अ0सं0-361/2025 धारा-191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/308(5)/117(2)
भा0न्या0सं0 थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।

अभियुक्त अर्श खान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-897/2019 धारा-323/504/506 भा0द0सं0 थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. मु0अ0सं0-239/2020 धारा-323/427/452/504/506 भा0द0सं0 थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. मु0अ0सं0-202/2023 धारा-147/323/325/504/506 भा0द0सं0 थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. मु0अ0सं0-289/2023 धारा-147/186/336/341/353/504/506 भा0द0सं0 व धारा 7 आपराधिक कानून संसोधन अधिनियम थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. मु0अ0सं0-196/2024 धारा-115(2)/351(2)/352 भा0न्या0सं0 थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
6. मु0अ0सं0-361/2025 धारा-191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/308(5)/117(2)
भा0न्या0सं0 थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0विजय पाण्डेय, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. हे0का0प्रवीण कुमार यादव, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. हे0का0 राजेश कुमार, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।

थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना फाफामऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-348/25 धारा-2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शुभम कुमार पुत्र राजा बाबू निवासी ग्राम रंगपुरा थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-28.12.2025 को थाना फाफामऊ क्षेत्रान्तर्गत रेलवे ब्रिज फाफामऊ के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शुभम कुमार उपरोक्त आपराधिक संगठित गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसका गैंग लीडर सुनील कुमार पुत्र राधेश्याम हरिजन निवासी ग्राम रंगपुरा थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज है। गिरफ्तार अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु भारतीय दण्ड विधान के अध्याय-16,17 व 22 में वर्णित अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अपने आर्थिक, भौतिक एवं बुनियादी लाभ, स्वयं व परिवार के ऐशो आराम के लिये लूटपाट करने जैसे आपराधिक कृत्य किया जाता है। थाना फाफामऊ पर उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-348/2025 धारा-2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम पंजीकृत है। पूर्व में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शुभम कुमार पुत्र राजा बाबू निवासी ग्राम रंगपुरा थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 22 वर्ष ।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-348/25 धारा-2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।

अभियुक्त शुभम कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-142/23 धारा-392/411 भा0द0सं0 थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. मु0अ0सं0-148/23 धारा-392/411/413 भा0द0सं0 थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. मु0अ0सं0-154/23 धारा-392/411/413 भा0द0सं0 थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. मु0अ0सं0-348/25 धारा-2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मुकेश कुमार यादव, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ0नि0दिनेश कुमार यादव, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. उ0नि0शुभ्रांशु कुशवाहा, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।